

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते हैं कि वादी अपने वाद पत्र को प्रमाणित करने में सफल रहा है तथा वादी का वाद डिक्री योग्य पाया जाता है।

### आदेश

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम करणपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर ग्राम करणपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 376 रकबा 0.62 हैक्टर कुल 1 किता रकबा 0.62 हैक्टर, आराजी खसरा नम्बर 313/641/0.12, 360/0.12, 381/0.30, 382/0.15, 383/0.49, 384/0.15,, कुल किता 6 रकबा 1.33 हैक्टर जो गत खसरा नम्बर 207/15 से बने है, खसरा नम्बर 312/642/0.11, 359/0.15, 361/0.21, 362/0.23, 363/0.20, 364/0.16, 366/0.17, 367/0.20, 368/0.32, 369/0.20, 399/0.21, 400/0.04 कुल किता 12 रकबा 2.20 हैक्टर जो गत खसरा नम्बर 207/15 से बने है, खसरा नम्बर 404/0.30, 408/0.25 कुल किता 2 रकबा 0.55 हैक्टर जो गत खसरा नम्बर 207/15 से बने है, खसरा नम्बर 385/0.30, खसरा नम्बर 386/0.18, 394/0.28 395/0.30, 397/0.43 398/0.14, कुल किता 6 रकबा 1.63 हैक्टर में पूर्व प्रविष्टि पप्पू पुत्र कन्हैया के स्थान पर भगवान सहाय पुत्र कन्हैया को खातेदार घोषित किया जाता है। खातेदार पप्पू पुत्र कन्हैया की प्रविष्टि को समाप्त किया जाकर नवीन प्रविष्टि भगवान सहाय पुत्र कन्हैया दर्ज की जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-01-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपज्जण्ड अधिकारी  
महवा (जिला दौदा)

